

भाग-IV

प्रस्ताव सं० :- FP/JP/Read/30202/2017

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग को विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें.....

Recommend for approval

.....(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)।

दिनांक :-
गान :-29/07/18
huananहस्ताक्षर
नाम.....
सरकारी मोहर.....मुख्य वन सहायक
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उ०प्र०, लखनऊ